

गूला वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास
पीठासीन अधिकारी: रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. संपतराम एवं
2. कमल पुत्रगण देवचंद,

दोनों जाति मीना, निवासी सुन्दरी, तहसील बामनवास,
बनाम

वादीगण

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास

प्रतिवादी

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,

इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 78/2018


वादीगण स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

इस वाद में आज दिनांक 28/7/2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1457 रकवा 0.63 हैक्टेयर में से वाद पत्र के साथ संलग्न किए गए नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित भूमि 0.06 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 840 रकवा 0.04 हैक्टेयर स्थित ग्राम सुन्दरी, तहसील बामनवास का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे तथा हाल खसरा नम्बर 840 के वर्तमान इन्द्राजात् निरस्त किए जाते हैं, प्रतिवादी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह उक्त भूमि के उपयोग,

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स० मा०)

उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक
20/7/2018 को जारी की गई ।


(रामकिशोर मिश्रा) एडवोकेट
उप जिला क्लर्क (मा०)
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	